प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 जून, 2025

विषय:- जिला कारागार, बिजनौर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गजेन्द्र पुत्र श्री विशम्बर, निवासी जनपद-बागपत की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-34726/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-08.11.2024), दिनांक-19.11.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बिजनौर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गजेन्द्र पुत्र श्री विशम्बर, जो ग्राम-कांठा, थाना-कोतवाली बागपत, जनपद-बागपत का निवासी है। प्रथम घटना-पूर्व में हुये झगड़े की रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 05.07.2004 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तलवार व फर्सा से वारकर शंकर नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। द्वितीय घटना-बन्दी द्वारा दिनांक 11.10.2007 को अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राजकमल सिंघल का फिरौती के लिए अपहरण करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराधों हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1343/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302 में मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (सी0बी0आई0) एंटी करप्सन यू0पी0 ईस्ट, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 16.09.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। 2-सत्र परीक्षण संख्या-799/2008, धारा-364ए, 368, 120बी० आई०पी०सी० में मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-02, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 21.11.2022 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। प्रथम केस में बन्दी द्वारा दिनांक 05.06.2023 तक अपरिहार 16 वर्ष, 05 माह, 22 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 03 माह, 24 दिन की सजा भोगी गयी है तथा द्वितीय केस में बन्दी द्वारा दिनांक 30.09.2024 तक अपरिहार 16 वर्ष, 01 माह. 26 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 07 माह, 15 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि० एल० जे0 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में प्रथम घटना- पूर्व में हुये झगड़े की रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 05.07.2004 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तलवार व फर्सा से वारकर शंकर नामक व्यक्ति की हत्या की व द्वितीय घटना बन्दी द्वारा दिनांक 11.10.2007 को अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राजकमल सिंघल का फिरौती के लिए अपहरण करने का अपराध कारित करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1988 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी गजेन्द्र पुत्र विशम्बर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ जिला कारागार, बिजनौर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गजेन्द्र (बन्दी संख्या-15/2022) पुत्र श्री विशम्बर, निवासी जनपद-बागपत के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-607/2025/2022(1)/22-2-2024 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बागपत।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, बिजनौर।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-607/2025/2022/22-2-2024-17(611)/2024

दिनांक 26 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, बिजनौर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गजेन्द्र पुत्र श्री विशम्बर, जो ग्राम-कांठा, थाना-कोतवाली बागपत, जनपद-बागपत का निवासी है। प्रथम घटना-पूर्व में हुये झगड़े की रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 05.07.2004 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तलवार व फर्सा से वारकर शंकर नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। द्वितीय घटना-बन्दी द्वारा दिनांक 11.10.2007 को अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राजकमल सिंघल का फिरौती के लिए अपहरण करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराधों हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1343/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302 में मा० न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (सी0बी0आई0) एंटी करप्सन यू0पी0 ईस्ट, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 16.09.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। 2-सत्र परीक्षण संख्या-799/2008, धारा-364ए, 368, 120बी० आई०पी०सी० में मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-02, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 21.11.2022 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। प्रथम केस में बन्दी द्वारा दिनांक 05.06.2023 तक अपरिहार 16 वर्ष, 05 माह, 22 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 03 माह, 24 दिन की सजा भोगी गयी है तथा द्वितीय केस में बन्दी द्वारा दिनांक 30.09.2024 तक अपरिहार 16 वर्ष, 01 माह. 26 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 07 माह, 15 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि० एल० जे0 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में प्रथम घटना- पूर्व में हुये झगड़े की रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 05.07.2004 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तलवार व फर्सा से वारकर शंकर नामक व्यक्ति की हत्या की व द्वितीय घटना बन्दी द्वारा दिनांक 11.10.2007 को अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राजकमल सिंघल का फिरौती के लिए अपहरण करने का अपराध कारित करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1988 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी गजेन्द्र पुत्र विशम्बर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in